

कृषि विभाग

Application for Amendment in Fertilizer License

उर्वरक अनुज्ञापत्र में संशोधन हेतु आवेदन

आवेदक की
फोटो

सेवा में,

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान), जयपुर/
संयुक्त निदेशक.....(सम्बंधित संभाग)/
उपनिदेशक (विस्तार).....(सम्बंधित जिला), राजस्थान

आधार आईडी-(भरना आवश्यक)-----भामाशाह आईडी(भरना आवश्यक)-----

व्यक्तिगत विवरण

1. आवेदक का नाम----- 2- संबंध प्रकार----- 3- पिता /
पति का नाम-----
4. जाति - श्रेणी----- 5. ईमेल----- 6. मोबाइल
नंबर-----

स्थायी पता

7. जिला ----- 8. पंचायत समिति ----- 9. ग्राम पंचायत

10. गाँव ----- 11. पिन कोड ----- 12. पता

फर्म/ कंपनी का पता जिसका उर्वरक अनुज्ञापत्र में संशोधन किया जाना है -

13. जिला ----- 14. पंचायत समिति ----- 15. ग्राम पंचायत

16. गाँव ----- 17. पिन कोड ----- 18. पता

19. फर्म/ कंपनी का नाम-----
20. उर्वरक अनुज्ञापत्र संख्या-----
उर्वरक अनुज्ञापत्र में संशोधन--

क्र.सं.	संशोधन	उर्वरक अनुज्ञापत्र संशोधन की वर्तमान स्थिति	उर्वरक अनुज्ञापत्र प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित संशोधनों की संख्या
1	फार्म "ओ" (पूर्ण भरा हुआ) जड़वाने हेतु			
2	गोदाम जड़वाने हेतु			
3	गोदाम/ पता के परिवर्तन हेतु			
4	प्राधिकार पत्र की नकल प्रतिलिपि हेतु			
कुल प्रस्तावित संशोधनों की संख्या				

विभागीय शुल्क:

कुल प्रस्तावित संशोधनों की संख्या अनुसार यदि राज्य स्तर अनुज्ञापत्र है तो प्रत्येक संशोधन हेतु विभागीय शुल्क 150रु./
कुल प्रस्तावित संशोधनों की संख्या अनुसार यदि जिला स्तर अनुज्ञापत्र है तो प्रत्येक संशोधन हेतु विभागीय शुल्क 30रु./

कियोस्क चार्ज: 30रु./

दस्तावेज संलग्न करें:-

21. भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी संलग्न करें।